राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

कमांक : प. 5(5) प्राशि/2018 जयपुर दिनांक 2 APR 2018

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : – तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण आवदेन–पत्र आमंत्रित करने के क्रम में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों/प्रबोधकों के निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार स्थानान्तरण हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

1. **स्थानान्तरण आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना तथा अवधि :**

1.1 अन्तः जिला (Intra District) स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

1.2 ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक जो प्रारम्भिक शिक्षा में पदस्थापित है एवं जिनकी 6–डी हो चुकी है अथवा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम–1971 के तहत पदस्थापित है तथा वे माध्यमिक शिक्षा में अन्तः जिला (Intra District) स्थानान्तरण चाहते है तो उनके स्थानान्तरण आवेदन–पत्र सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

1.3 अन्तर–जिला (Inter District) स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

1.4 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु उक्त समस्त अन्तर–जिला एवं अन्तः जिला स्थानान्तरण आवेदन–पत्र सम्बन्धित निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में **दिनांक 20 अप्रैल, 2018** तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

1.5 निदेशालय/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में सम्पूर्ण विवरण सहित दर्ज किया जायेगा तथा आवेदनकर्ता को रजिस्टर में इंद्राज की रसीद प्रदान की जायेगी।

1.6 तृतीय श्रेणी अध्यापक का जिला परिवर्तन होने की स्थिति में कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्ति के समय नियमानुसार पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन का सहमति पत्र लिया जावें।

2. **स्थानान्तरण आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने हेतु पात्रता :**

2.1 ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका परीवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है, वे अन्तःजिला (Intra-District) स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

2.2 समस्त जिलों में दिनांक 31.12.2012 के बाद नियुक्त ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका परीवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका हैं, वे निम्नांकित विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत आने पर ही अन्तर–जिला (Inter-District) स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे :–

1. निम्न असाध्य बीमारियों से पीड़ित शिक्षक –
   (i). कैंसर
   (ii). गुर्दा प्रत्यारोपण
   (iii). हृदय शल्य चिकित्सा
2. पूर्णत दृष्टिहीन
3. 100 प्रतिशत दिव्यांग

2.3 प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका परीवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है, वे प्रतिबंधित जिले से प्रतिबंधित जिले में अन्तर–जिला (Inter-District) स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

2.4 दिनांक 31.12.2012 से पूर्व नियुक्त ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक जो निम्नांकित 1 से 9 विशेष श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं, वे अन्तर–जिला (Inter-District) स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे :–

1. पूर्णतः दृष्टिहीन।
2. 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग।
3. निम्न असाध्य बीमारियों से पीड़ित शिक्षक –
   (i). कैंसर
   (ii). गुर्दा प्रत्यारोपण
   (iii). हृदय शल्य चिकित्सा
4. शिक्षक जो कि 40 से 70 प्रतिशत तक दिव्यांग हो।
5. जिनके आश्रित बच्चे मंद बुद्धि के हो एवं उपचाररत हो।
6. जिनके बच्चों के कैंसर, दिल में छिद्र एवं ब्रेन ट्यूमर हो तथा वे उपचाराधीन हो।
7. महिलाएं/पुरूष जिनके पति/पत्नी बिन्दु संख्या 3 पर वर्णित बीमारियों से ग्रसित हो।
8. विधवा महिला शिक्षिका।
9. परित्यक्ता (कानूनी रूप से)/विवाह विच्छेद (कानूनी रूप से) शिक्षिका।

2.5 प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत ऐसे समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जो दिनांक 31.12.2008 से पूर्व के नियुक्त है, वे अन्तर–जिला (Inter-District) स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

2.6 गैर–प्रतिबन्धित जिलों में कार्यरत ऐसे समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जो दिनांक 31.12.2012 से पूर्व नियुक्त है, अन्तर–जिला (Inter-District) स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

2.7 तृतीय श्रेणी अध्यापक सम्बन्धित विषय/लेवल के स्पष्ट रूप से रिक्त पद पर स्थानान्तरण हेतु ही आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

2.8 तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–2 विषय–सामान्य के अध्यापक को तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–1 के रिक्त पदों पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

2.9 टीएसपी क्षेत्र के तृतीय श्रेणी अध्यापक टीएसपी क्षेत्र के नियमों/प्रावधानों के अनुसार ही स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

2.10 ऐसे अध्यापक जिनकी 6–डी हो चुकी है अथवा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम–1971 के तहत पदस्थापित है, वे प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग में अन्तः जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

2.11 पंचायतीराज सैट–अप के तृतीय श्रेणी अध्यापक/शैक्षणिक कार्मिक ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

2.12 संविदा पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

2.13 राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत समायोजित कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में नहीं किया जायेगा।

2.14 पारस्परिक स्थानान्तरण चाहने वाले दोनों शिक्षकों के सैट–अप, पद, लेवल एवं विषय समान होने की स्थिति में ही उपरोक्त शर्तो के अध्यधीन स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

2.15 ऐसे शिक्षक जिनका परीवीक्षा काल पूर्ण नहीं हुआ है, वे स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार पात्र होने पर प्रबोधक भी बिन्दु संख्या 1 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार अन्तः जिला (Intra District) तथा अन्तर जिला (Inter District) स्थानान्तरण हेतु संलग्न प्रारूप 'अ' व 'ब' में आवेदन–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही करावें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

विशिष्ट शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शिक्षक–संस्थापन/एफ–6/स्थानान्तरण नीति/2018 दिनांक 03.04.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

परिशिष्ठ –ब

**माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों हेतु**
**अन्तर–जिला स्थानान्तरण (Inter-District Transfer) हेतु आवेदन पत्र**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | नाम | | |
| 2 | कर्मचारी पहचान संख्या (Employee Id) | | |
| 3 | वर्तमान पद का विवरण | मूल पद मय विषय | |
| | | पदस्थापित पद मय विषय | |
| 4 | वर्तमान पदस्थापन स्थान | | |
| 5 | विद्यालय कोड (IFMS code) | | |
| 6 | प्रथम नियुक्ति तिथि | | |
| 7 | वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण तिथि | | |
| 8 | सेवानिवृति तिथि | | |
| 9 | गृह जिला | | |

**10. प्रथम नियुक्ति तिथि से अब तक का सेवा विवरण**

| कसं. | नाम पद | विद्यालय का नाम | कार्यरत अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | दिनांक..........से | दिनांक...........तक |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत नियुक्ति की स्थिति | हाँ/नहीं |
| 12 | परीवीक्षाकाल समाप्त होने की स्थिति | हाँ/नहीं |
| 13 | आवेदनकर्त्ता निम्नांकित श्रेणियों में से जिस श्रेणी में आवेदन कर रहा है उस श्रेणी के सम्मुख √ का निशान लगाये :– | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्रेणी 1 | 31.12.2012 के पश्चात नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका परीवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है उन अध्यापकों हेतु 3 **विशेष श्रेणी**<br>● श्रेणी 1 से 3 के संबंध में आवेदन –पत्र के साथ **मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र, जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।** | (1) | **निम्न असाध्य बीमारियों से पीड़ित शिक्षकः–** | |
| | | | (i) कैन्सर। | |
| | | | (ii) गुर्दा प्रत्यारोपण। | |
| | | | (iii) हृदय शल्य चिकित्सा। | |
| | | (2) | पूर्णतः दृष्टिहीन | |
| | | (3) | 100 प्रतिशत दिव्यांग | |

**माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों हेतु**

**<u>अन्तर–जिला स्थानान्तरण (Inter-District Transfer) हेतु आवेदन पत्र</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | नाम | | |
| 2 | कर्मचारी पहचान संख्या (Employee Id) | | |
| 3 | वर्तमान पद का विवरण | मूल पद मय विषय | |
| | | पदस्थापित पद मय विषय | |
| 4 | वर्तमान पदस्थापन स्थान | | |
| 5 | विद्यालय कोड (IFMS code) | | |
| 6 | प्रथम नियुक्ति तिथि | | |
| 7 | वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण तिथि | | |
| 8 | सेवानिवृति तिथि | | |
| 9 | गृह जिला | | |

**10. प्रथम नियुक्ति तिथि से अब तक का सेवा विवरण**

| क्रसं. | नाम पद | विद्यालय का नाम | कार्यरत अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | दिनांक...........से | दिनांक............तक |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत नियुक्ति की स्थिति | हाँ / नहीं |
| 12 | परीवीक्षाकाल समाप्त होने की स्थिति | हाँ / नहीं |
| 13 | आवेदनकर्त्ता निम्नांकित श्रेणियों में से जिस श्रेणी में आवेदन कर रहा है उस श्रेणी के सम्मुख √ का निशान लगाये :– | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्रेणी 1 | 31.12.2012 के पश्चात नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका परीवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है उन अध्यापकों हेतु 3 विशेष श्रेणी<br>• श्रेणी 1 से 3 के संबंध में आवेदन –पत्र के साथ मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र, जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। | (1) | निम्न असाध्य बीमारियों से पीड़ित शिक्षक:– | |
| | | | (i) कैन्सर। | |
| | | | (ii) गुर्दा प्रत्यारोपण। | |
| | | | (iii) ह्रदय शल्य चिकित्सा। | |
| | | (2) | पूर्णतः दृष्टिहीन | |
| | | (3) | 100 प्रतिशत दिव्यांग | |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | अन्तः जिला स्थानान्तरण (Intra-District Transfer) हेतु प्राथमिकतानुसार जिलों में स्थित रिक्त पद वाले विद्यालयों के नाम | 1. ........................................<br>2. ........................................<br>3. ........................................<br>4. ........................................<br>5 ........................................ |

**घोषणा**

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने अन्तः–जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में मेरे द्वारा भरी गई समस्त सूचनाऐं पूर्णतया सही है।

हस्ताक्षर आवेदक
नाम
पद एवं पदस्थापन स्थान

नोट :–यह स्थानान्तरण आवेदन–पत्र स्थानान्तरण किये जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना का विभागीय रिकॉर्ड से जाँच उपरान्त गुणावगुण के आधार परीक्षण कर आवेदन पर कार्यवाही की जावेगी।

**आवेदन प्राप्ति रसीद**

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक , ............

श्री/सुश्री/श्रीमती.........................................पद..........................द्वारा स्थानान्तण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र कार्यालय में संधारित रजिस्टर में कम संख्या ............................दिनांक.................... पर दर्ज कर लिया गया है।

हस्ताक्षर आवेदन प्राप्तकर्ता

<table>
<tr><td rowspan="13">श्रेणी 2</td><td rowspan="13">दिनांक 31.12.2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों हेतु 9 विशेष श्रेणी<br>• श्रेणी 1 से 7 के संबंध में आवेदन –पत्र के साथ मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र, जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।<br>• श्रेणी 8 के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं स्थानान्तरण आवेदन की तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।<br>• श्रेणी 9 के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी (न्यायालय) द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं स्थानान्तरण आवेदन की तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।</td><td>(1)</td><td>पूर्णतः दृष्टिहीन</td><td></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">(3)</td><td>निम्न असाध्य बीमारियों से पीड़ित शिक्षक:–</td><td></td></tr>
<tr><td>(i) कैन्सर।</td><td></td></tr>
<tr><td>(ii) गुर्दा प्रत्यारोपण।</td><td></td></tr>
<tr><td>(iii) हृदय शल्य चिकित्सा।</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)</td><td>40 से 70 प्रतिशत तक दिव्यांग।</td><td></td></tr>
<tr><td>(5)</td><td>जिनके आश्रित बच्चे मंद बुद्धि के हो एवं उपचारत हो।</td><td></td></tr>
<tr><td>(6)</td><td>जिनके बच्चों के कैन्सर, दिल में छिद्र एवं ब्रेन टयूमर हो तथा वे उपचाराधीन हो।</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)</td><td>महिलाएं/पुरूष जिनके पति/ पत्नी बिन्दु संख्या 3 पर वर्णित बीमारियों से ग्रसित हो।</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)</td><td>विधवा।</td><td></td></tr>
<tr><td>(9)</td><td>परित्यक्ता (कानूनी रूप से)/विवाह विच्छेद शुदा (कानूनी रूप से) अध्यापिका।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>श्रेणी 3</td><td>आवेदन की स्थिति गैर–प्रतिबंधित/ प्रतिबंधित जिले से प्रतिबंधित जिले हेतु</td><td colspan="3">हॉ/नहीं</td></tr>
<tr><td>श्रेणी 4</td><td>प्रतिबंधित जिले से अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु नियुक्ति 31.12.2008 से पूर्व की है?</td><td colspan="3">हां/नहीं</td></tr>
<tr><td>श्रेणी 5</td><td>गैर–प्रतिबंधित जिले से अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु नियुक्ति 31.12.2012 से पूर्व की है?</td><td colspan="3">हां/नहीं</td></tr>
<tr><td>14</td><td>अन्तर–जिला स्थानान्तरण (Inter-District Transfer) हेतु प्राथमिकतानुसार तीन जिलों के नाम</td><td colspan="3">1. ..........<br>2. ..........<br>3. ..........</td></tr>
</table>

**घोषणा**

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने अन्तर–जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया है। उक्त अन्तर–जिला स्थानान्तरण से मेरी वरिष्ठता का विलोपन होगा, इसकी मुझे जानकारी है तथा मैं इससे सहमत हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में मेरे द्वारा भरी गई समस्त सूचनाएँ पूर्णतया सही है।

हस्ताक्षर आवेदक
नाम
पद एवं पदस्थापन स्थान

<u>नोट :–यह स्थानान्तरण आवेदन–पत्र स्थानान्तरण किये जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना का विभागीय रिकॉर्ड से जाँच उपरान्त गुणावगुण के आधार परीक्षण कर आवेदन पर कार्यवाही की जावेगी।</u>

## आवेदन प्राप्ति रसीद

**कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक राजस्थान बीकानेर**

श्री / सुश्री / श्रीमती.......................................पद........................द्वारा स्थानान्तण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र कार्यालय में संधारित रजिस्टर में कम संख्या ............................दिनांक.................. पर दर्ज कर लिया गया है।

**हस्ताक्षर आवेदन प्राप्तकर्ता**